FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

.... देवाराम वगैरा .... बनाम .... भूराराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा .... राजस्व वाद 88, 188 RT Act नं. 77/2022 .... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/04/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...... रतनाराम ...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...... 88, 188 ...... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/06/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
27/06/2022	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या -1 की ओर से वकील श्री रवेतराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1- देवाराम पुत्र भूराराम जाति- मेघवाल निवासी- मुठिया नाडिया परवा हल्का रतेऊ तहसील- गिड़ा व स्वतंत्र गवाह PW-2 अमराराम पुत्र श्री धनाराम जाति- जाट निवासी- डूंगराणियों की ढाणी तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया / वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादी के वाद स्वीकार किया गया, निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 23 को तर्क किया गया जिनके कोई इन्द्राज नहीं चाही गई। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर के बाद दाखिल दफ्तर हो। [signature]
19/08/2022	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर संशोधित आदेश करने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद में निर्णय लिखते समय पक्षकारों देवाराम v/s मूलाराम वगैरा में जाति जाट अंकित कर दिया गया जबकि उक्त पक्षकारों की जाति मेघवाल है इसलिए पक्षकारों के जाति जाट के स्थान पर जाति मेघवाल अंकित करते हुए संशोधित निर्णय किया जावे। अतः वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के जाति जाट के स्थान पर जाति मेघवाल अंकित करते हुए संशोधित निर्णय व संशोधित डिक्री पर्चा जारी किया जाने का आदेश किया जाता है संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा

[illegible] हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जारी होकर पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 77 / 2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. देवाराम पुत्र भूराराम, 2. खेताराम पुत्र भूराराम, 3. तुलछाराम पुत्र भूराराम, 4. बाबूराम पुत्र भूराराम, जाति–मेघवाल, निवासी– फतुम्बिया नाडी, रतेऊ, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		1. भूराराम पुत्र बूलाराम, 2. जालाराम पुत्र बूलाराम, 3. निम्बाराम पुत्र बूलाराम, 4. रावताराम पुत्र बूलाराम, 5. किस्तुराराम पुत्र भोमाराम, 6. गुलाराम पुत्र खानूराम, 7. राणाराम पुत्र मोड़ाराम, 8. अचलाराम पुत्र गुलाराम, 9. जेठाराम पुत्र गुलाराम, 10. ताम्बलराम पुत्र गुलाराम, 11. मांगाराम पुत्र गुलाराम, 12. उतमाराम पुत्र किस्तुराराम, 13. धनाराम पुत्र किस्तुराराम, 14. लूणाराम पुत्र किस्तुराराम, 15. देवाराम पुत्र अमूराम, 16. मानी पत्नी अमूराम, 17. सरूपाराम पुत्र अमूराम, 18. नेचलराम पुत्र बसराराम, 19. मेवाराम पुत्र शेराराम, 20. महादान पुत्र शेराराम, 21. हरूराम पुत्र शेराराम, 22. फकीराराम पुत्र जालाराम, 23. भेराराम पुत्र जलाराम, जाति–मेघवाल, निवासी– फतुम्बिया नाडी, रतेऊ, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा **88**, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

–: **संशोधित निर्णय** :– **दिनांक** : 19/08/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा फतुम्बिया नाडी, पटवार मण्डल रतेऊ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 862, 859, 858 रकबा 10.5623, 91.0541, 0.1700 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील गिड़ा खेत खसरा नं. 719 रकबा 18.1542 हेक्टयर की भूमि आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1, पूर्वज बूलाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

.टलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं देवाराम पुत्र भूराराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में अमराराम पुत्र धनाराम का शपथ पत्र PW 2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज बूलाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा फतुम्बिया नाडी, पटवार मण्डल रतेऊ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 862, 859, 858 रकबा 10.5623, 91.0541, 0.1700 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 719 रकबा 18.1542 हेक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
बायतु
सहायक कलक्टर एवं
जिला – बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 19/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. देवाराम पुत्र भूराराम,
2. खेताराम पुत्र भूराराम,
3. तुलछाराम पुत्र भूराराम,
4. बाबूराम पुत्र भूराराम,

जाति–मेघवाल, निवासी– फतुम्बिया नाडी, रतेऊ, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

बनाम

1. भूराराम पुत्र बूलाराम वगैरह 23

जाति–मेघवाल, निवासी– फतुम्बिया नाडी, रतेऊ, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 77 / 2022. **निर्णय दिनांक :–** 19/08/2022

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19/08/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा फतुम्बिया नाडी, पटवार मण्डल रतेऊ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 862, 859, 858 रकबा 10.5623, 91.0541, 0.1700 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील गिड़ा खेत खसरा नं. 719 रकबा 18.1542 हेक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला–बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	